कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

E-mail ID :: dfotechwara@mp.gov.in *P.- (07162)243457, Fax (07162)242267*

क्रमांक/तकनीकी/2023/2722 **छिंदवाड़ा, दिनांक/** 16-11-23

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन भोपाल म.प्र.

विषय :- छिंदवाड़ा जिले में ए.डी.बी. -6/7 योजना के अंतर्गत हर्रई - बिजोरी मार्ग (राज्य मार्ग क्रमांक-41) उन्नयन / निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर वनभूमि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, छिंदवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाइन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/124534/2021)

संदर्भ :- आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1140/2022/10-11/3105 दिनांक 12.07.2023 एवं संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 301 दिनांक 19.07.2023।

——000——

निवेदन है कि, विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र से 8 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, जिसके संदर्भ में आवेदक विभाग द्वारा 8 बिन्दुओं की जानकारी बिन्दुवार प्रेषित की गई है एवं बिन्दु क्रमांक 5 के तारतम्य में जानकारी निम्नानुसार है -

S.N.	Query	Reply
5	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted / uploaded.	प्रस्तावित मार्ग हर्रई - बिजोरी मार्ग (राज्य मार्ग क्रमांक 41) कुल लम्बाई 72.73 कि.मी. है। पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत वनक्षेत्र 6.192 हे. मार्ग उन्नयन चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहा है यह मार्ग पूर्व से पी.डब्लू.डी. मार्ग है। जो छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन स्थल पातालकोट एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण का कोई अन्य विकल्प नहीं है। उपरोक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुये वनमंडल के वन क्षेत्र में मार्ग की कुल लम्बाई 6880 मीटर एवं

S.N.	Query	Reply
		9 मीटर चौड़ाई रकबा 6.192 हे. में मार्ग उन्नयन कार्य हेतु अनुशंसा की जाती है।

अतः आवेदक विभाग द्वारा प्रेषित 8 बिन्दुओं की जानकारी पत्र के संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव) भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/तकनीकी/2023/2723 **छिंदवाड़ा, दिनांक/** 16-11-23

प्रतिलिपि :– 01 वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02 संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय -- संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी

छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं-. 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in CIN: U45203MP2004SG016758

पत्र क्र. 301 /ए.डी.बी.-6/एमपीआरडीसी/2023 छिंदवाड़ा, दिनांक 19/07/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

पूर्व/पश्चिम क्षेत्र (सामान्य) वनमण्डल,

छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषयः-छिंदवाड़ा जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अंतर्गत हर्रई-बिजोरी मार्ग (राज्य राजमार्ग क्रमांक-41) कुल लंबाई-72.73 किमी. के उन्नयन/निर्माण हेतु कार्य में प्रयुक्त होने वाली 6.372 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. सड़क विकास निगम को देने बाबत्। (ऑनलान प्रकरण क्र. FP/MP/ROAD/124534/2021)।

संदर्भः-1. आपका पत्र क्र./मा.चि./2023/1450 छिन्दवाड़ा दिनांक 13/07/2023 ।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ5/1140/2022/10-11/3104 दिनांक 12/07/2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने विषयांतकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 8 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है, जिसके अन्तर्गत विभाग से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

S.N.	Query	Reply
1.	Administrative approval of the project shall be submitted.	Administrative approval letter **(Copy Attached)**
2.	Some part of forest area are not demarcated in KML file. The needs rectification clarification.	Uploaded
3.	When was the road constructed? Documentary evidence of existence of the prior to 1980 shall be submitted.	Documentary evidence of existence of road prior to 1980 is attached.
4.	Full KML file of layout plan of forest area and non-forest area (full project KML file) shall be submitted / uploaded.	Uploaded
5.	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/ uploaded.	वन विभाग से संबंधित।
6.	No objection certificates of concerned department (Railway. WRD. TI. Etc.) Shall be submitted.	As there is no Railway line and transmission line between Harrai to Bijori Road and no WRD projects therefore NOC is not required.

D.F.O. st.Cwa Dn.

वन मंडल अधिकारी क्रमांक 1627 दिनांक 20.7.23 वन मंडल, छिंदवाड़ा

म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय – संभागीय प्रबंधक

व्ही.आई.पी. (सरकुलर) रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी

छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन 480001, फोन नं-. 07162-292624

Email:- dm-chhindwara@mp.gov.in CIN: U45203MP2004SGC016758

S.N.	Query	Reply
7.	Detailed muck calculation and disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	2x6.37x1000x(4.15+3.15)/2x0.50 = 23250 Cum परियोजना अंतर्गत वन भूमि में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने मे किया जायेगा तथा अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किराने निचले भाग में समतलीकरण में उपयोग किया जायेगा।
8.	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan is shall be submitted.	ऑनलाइन आवेदन के बिन्दु क्र. B-2.4 में जानकारी दी गई है। चाही गई वन भूमि मार्ग उन्नयन/निर्माण हेतु ही है।

कृपया प्रकरण में भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास निगम
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पृष्ठा. क्र. /ए.डी.बी.-6/एमपीआरडीसी/2023 छिंदवाड़ा, दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य अभियंता (एडीबी-6), म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संभागीय प्रबंधक

58/1

मध्यप्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय

भोपाल दिनांक 4/05/2018

क्रमांक एफ- 28/03/2018/19/यो 1869

प्रति,

प्रबंध संचालक

म.प्र. सड़क विकास निगम

45 -ए अरेरा हिल्स भोपाल

विषयः- एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य के राजमार्गो के उन्नयन हेतु परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme-"VI & VII" की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भः- आपकी टीप क्रमांक 3278/पी.ए./एम.डी.एम.आर.डी.सी/2017 दिनांक 08-12-2017

-o-

राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री परिषद् आदेश दिनांक 23.04.2018 के परिपालन मे एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित मांर्गों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित परियोजना "Madhya Pradesh Road Development Programme-"VI & VII" अंतर्गत नवीन राज्य राजमार्गो/मुख्य जिला मार्गो का निर्माण/उन्नयन कार्य मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संपादित कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

1) **Madhya Pradesh Road Development Programme-"VI & VII"** में संलग्न परिशिष्ट-01 के अनुसार 3852.92 कि.मी. लम्बाई के 101 मार्गों के उन्नयन कार्य हेतु रु. 6156 करोड़ (950 यू.एस. डॉलर, 70 प्रतिशत एशियन विकास बैंक का ऋण तथा 30 प्रतिशत राज्य शासन का भाग) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । **Madhya Pradesh Road Development Programme-VII** का क्रियान्वयन वर्ष 2019-20 से प्रारंभ किया जावे। परिशिष्ट-01 में सम्मिलित मार्ग कालांतर में किसी अन्य योजना में विकसित हो जाने की स्थिति में उस मार्ग के स्थान पर कुल परियोजना लागत के अधीन वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त अन्य सड़क मार्ग का चयन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा।

M. P. ROAD DEV. CORPN. LTD., BHOPAL
RECEIVED 05/05/18
No. 2728

CE (BOT)

58/2

2) प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एशियन विकास बैंक से परियोजना लागत की 20 प्रतिशत तक राशि की स्वीकृति Retroactive आधार पर दी जावेगी।

सहपत्रः- परिशिष्ट-01

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4.5.18

(आर.के. मेहरा)
सचिव
म.प्र. शासन, लो.नि.वि.
भोपाल दिनांक 4 /05/2018

पृ क्रमांक एफ-28/03/2018/19/यो 1870

प्रतिलिपिः-

1 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2 निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4.5.18

सचिव
म.प्र. शासन, लो.नि.वि

सहपत्रः- 0

स. क्र.	मार्ग का नाम	जिला	लंबाई (कि.मी.)	मार्ग श्रेणी	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (`करोड़ में)
24	गुजरात सीमा – खेड़ा – कट्ठीवाड़ा – भामरा – उदयगढ़ – बोरी – टाँडा – बलवाड़ी – गंधवानी – डेहरी – मनावर – खलघाट – महेश्वर – बड़वाह कुल लंबाई = 261.00 कि.मी.	धार, अलीराजपुर	116.45	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 261.00 कि.मी. मे से 116.45 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	349.35
25	हर्रई – बटकाखपा –बिजौरी –तामिया – जुन्नारदेव –नीमढाना – बोरदेही – खेड़ी – मुलताई – आठनेर – गुदगाँव – चिल्कापुर – भैंसदेही – कुकरूखामला – महाराष्ट्र सीमा कुल लंबाई = 283.00 कि.मी.	बैतूल	171.40	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 283.00 कि.मी. मे से 171.40 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	514.20
26	बंडोल जोड़ – कुण्डा – थावरी – चौरई – चाँद – बिछुआ – खमारपानी – सावरनी – लोधीखेड़ा – तिनखेड़ा – साँईखेड़ा – महाराष्ट्र सीमा कुल लंबाई = 160.00 कि.मी.	छिंदवाड़ा	96.50	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 160.00 कि.मी. मे से 96.50 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	289.50
27	छत्तीसगढ़ सीमा – सालेटेकरी – बिरसा – मोहगाँव – बैहर – परसवाड़ा – लामता – समनापुर – लालबर्रा – वारासिवनी – रामपायली – गर्राचौकी – (लामता – समनापुर रा.रा. लंबाई 24 कि.मी. छोड़कर) कुल लंबाई = 172.00 कि.मी.	बालाघाट	52.20	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 172.00 कि.मी. मे से 52.20 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	156.60
28	समनापुर–गाड़ासरई मार्ग कुल लंबाई 22.50 कि.मी.	डिण्डोरी	22.50	नवीन राज्य राजमार्ग	कुल लंबाई 22.50 कि.मी. मे से 22.50 कि.मी. का टू–लेन में चौड़ीकरण	67.50
29	भदभदा से बिलकिसगंज मार्ग, कुल लंबाई = 13.00 कि.मी.	भोपाल	13.00	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग	कुल लंबाई 13.00 कि.मी. मे इण्टरमीडिएट लेन में चौडीकरण/ पुर्ननिर्माण	22.75
30	कोलार मार्ग कुल लंबाई = 32.00 कि.मी.	भोपाल	14.00	विद्यमान मुख्य जिला मार्ग	कुल लंबाई 32.00 कि.मी. मे से 14.00 कि.मी. का इण्टरमीडिएट लेन में चौडीकरण/ पुर्ननिर्मा‍ण	24.50

वि उक्र ③

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा

email :- eepwd1chhind@mp.nic.in

क्रमांक/ 3787 /त.शा./ एम.पी.आर.डी.सी.–8 छिंदवाडा, दिनांक 18/07/23

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड
भोपाल (म.प्र.)

विषय : छिन्दवाड़ा जिले में ए.डी.बी. – 6/7 योजना के अंतर्गत हर्रई बिजोरी मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 41) के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्र. 289/ए.डी.बी.–06/एम.पी.आर.डी.सी/2023 छिन्दवाड़ा दिनांक 13.07.2023

----: 000 :----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हर्रई बिजोरी मार्ग पर विभागीय कब्जा दिनांक 21.08.1978 के पूर्व से होना पाया गया है। (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है)

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग
छिंदवाडा

भू-अर्जन मुआवजा की अद्यतन जानकारी

योजना के नाम एवं जहाँ भूमि अर्जित की	भूमि अधिग्रहण में लेने का वर्ष.	कुल अर्जित भूमि हे.	भूमि का कुल निर्धारित मुआवजा.	भुगतान की रकम रु.	[illegible]
2	3	4	5	6	
गर्दे-गा िमा	72-73	16.048	40,272	24,200	1
धारवा पाजमगमी	81-82	12.670	1,02,429	94,269	
आर्द गोवानी	81-82	23.602	12,988	2,167	1
निगोरी सीतीगापा	77-78	4.344	28,058	24,423	3,
गाजाड बाग	83-84	3.034	1,22,143	1,00,809	2
गैर्दे झारगाडा	63-64	40.111	7,19,135	5,75,809	1,41
झरगाडा उगरिया	80-81	4.990	2,96,813	2,46,998	45
भै कान उरयाडा	-	0.437	2,241	1,599	
गाया पकलाडा	71-72	12.928	1,42,046	1,37,559	4
फता पथाडा	80-81	16.275	1,51,013	1,46,411	4
गारवा उगरिया	80-81	27.373	2,81,514	2,60,414	21
डुंगारी मैं मंगाडा	81-82	2.845	47.686	46,600	1,
पिलाडोंध उमरेठ	64-65	4.342	72,849	70,185	2,
मीरदाना सिरसायद	70-71	5.545	30,134	28,270	1,
हिरदेगढ मोगांव	62-63	30.375	3,23,560	2,93,765	29,
मोगांव कमला	61-62	3.940	74,546	58,045	16,
उमरेठ दीपलयाडा	-	3.252	36,003	34,000	2,
तोना पिपरी रियोरा	87-88	3.269	31,477	15,978	
हिमायामी दागा	80-81	1.852	56,891	50,650	
मारना छमट्याडा	71-72	0.406	44,895	44,893	
दमुआ लारनी	-	49.850	3,34,241	2,98,065	
हिन्दीगराय	-	0.245	13[illegible]	10,000	
तुमरी उमरेठ	81-82	4.578	6[illegible]	35,39[illegible]	
स्यांदरी धौधी	82-83	2.997	4[illegible]	40,[illegible]	
मिरता कोंदुर	73-74	1.448	[illegible]	[illegible]	
पातिया पमट्याडा	73-74	4.874	[illegible]	[illegible]	
पंदाबेला गाजनडोंव	81-82	1.319	[illegible]	[illegible]	
पार्दे हमांतिमा	-	5.263	[illegible]	[illegible]	
पूर्णियात छकाखरा मैं	-				

भुगतान हेतु मुआवजा की शेष राशि की जानकारी दिनांक 31-5-93 तक

कार्यन मार्ग का नाम	स्वीकृत अवार्ड की राशि	भुगतान की राशि 5/93	शेष भुगतान की राशि	शेष कृषकों की संख्या प्रपत्र/कुमार	कब्जा दिनांक	मुआवजा भुगतान न होने का कारण	अन्य
जौरई अमरवाड़ा मार्ग	7,19,135-00	5,74,809-00	144326-00 [illegible]-00	108 [illegible]	1-5-1963	(1) कृषकों का न आना	
बोरी [illegible] मार्ग	28058-00	24423-00	3635-00	6	21/8/1978	(2) जमीन खसरा विवादित होना	
[illegible] गोरखपुरी मार्ग	104669-00	91681-00	12988-00	34	29/3/82	(3) कृषक के सामलाती खाते में किसी एक व्यक्ति न होना	
(4) [illegible] मार्ग	296813-00	246998-00	50115-00	46	23/12/1981	— तदैव —	
(5) [illegible] मार्ग	1,22,143-00	100809-00	21334-00	10	28/3/82	— तदैव —	
[illegible]	2241-00	1599-00	642-00	2	1/12/1983	— तदैव —	
			233040-00				

अनुविभागीय अधि. [illegible]